2009:CGHC:10573-**DB**

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश एवं
माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 1018/2002

अपीलार्थी सुरेश कुमार और अन्य

(जेल में) बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचाराणार्थ निर्णय

सही/-
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर न्यायाधीश
मैं सहमत हूं ।

सही/-
श्री आर. एन. चन्द्राकर
न्यायाधीश
दिनांक 19/10/2009

दिनांक 21 अक्टूबर 2009 को निर्णय हेतु सूचीबध्द

सही/-
न्यायाधीश
दिनांक 20/10/2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 1018/2002

अपीलार्थी (जेल में) 1. सुरेश कुमार पिता जागेश्वर प्रसाद उम्र 32 वर्ष
2. शान्ति बाई पति जागेश्वर प्रसाद उम्र 48 वर्ष
3. राकेश कुमार पिता जागेश्वर प्रसाद उम्र 30 वर्ष
सभी निवासी कूई पुलिस स्टेशन कूकदुर जिला कवर्धा

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एस.एच.ओ. पुलिस स्टेशन कूकदुर जिला कवर्धा

उपस्थित : अधिवक्ता श्री उत्कर्ष वर्मा अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से
अधिवक्ता श्री आशिष शुक्ला शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21/10/2009 को पारित

माननीय श्री धिरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश के द्वारा

1. यह दांडिक अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 480/00 दिनांक 22/07/2002 में पारित दंडादेश एवं दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध यह दांडिक अपील प्रस्तुत है, जिसमें द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी., मुंगेली, जिला बिलासपुर द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 302 एवं 201 के अधीन तथा अपीलार्थी संख्या 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें क्रमशः 3 वर्ष के सश्रम कारावास, आजीवन कारावास एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है; तथा अपीलार्थी संख्या 3 को आजीवन कारावास एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अपीलार्थी सुरेश कुमार एवं मृतका उत्तराबाई का विवाह वर्ष 1998 में संपन्न हुआ था तथा सत्यैंद्र कुमार उनका पुत्र था। अपीलार्थी शांति बाई, अपीलार्थी सुरेश तथा अपीलार्थी राकेश की माता हैं।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि मृतका अपने विवाहित गृह ग्राम-कुई में अपीलार्थियों के साथ रहती थी, जबकि उसके माता-पिता कवर्धा में

रहते थे। अपीलार्थियों का मृतका उत्तराबाई के प्रति व्यवहार उचित नहीं था; अपीलार्थी शांतिबाई उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह घरेलू कार्यों में कुशल नहीं थी। अपीलार्थियों को यह भी शिकायत थी कि विवाह के समय रंगीन टी.वी. नहीं दिया गया। मृतका अपनी विपत्ति की कहानी अपने माता-पिता और बड़ी बहन पुष्पादेवी को सुनाया करती थी। वर्ष 2000 के तीजा (सितंबर) की पूर्व संध्या पर, वह अपने माता-पिता के घर (मायके) गई और अपीलार्थियों के व्यवहार की शिकायत की। त्योहार के बाद वह अपीलार्थी सुरेश के साथ लौट आई। 18/10/2000 को लगभग 1:30 बजे, अपीलार्थी सुरेश ने मर्ग सूचना प्र.पी.-9 दर्ज की, जिसमें उल्लेख था कि उसकी पत्नी उत्तराबाई की जलने से मृत्यु हो गई है। उसने अपने पुत्र सत्येंद्र कुमार आयु लगभग एक से डेढ वर्ष की मृत्यु की भी मर्ग सूचना दर्ज की, जिसे घटना में गंभीर रूप से जल गया था और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुलिस घटना स्थल पर पहुँची, गवाहों की उपस्थिति में मृतका के शव पर प्र.पी.-2 के तहत शव परीक्षण की और उसके बाद, प्र.पी.-7 के तहत पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंडरिया भेज दिया। डॉ. वी.पी. जैसवाल (अ.सा.-10) और डॉ. पी.एल. कुर्रे की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया और प्र.पी. 8 के तहत अपनी रिपोर्ट दी। अन्वेषण अधिकारी

(अ.सा.-9) राजेश देवदास ने प्र.पी. 6 के तहत मृत्यु वाले दोनों स्थानों का साइट प्लान तैयार किया जहाँ उत्तराबाई और सत्येंद्र की मृत्यु हुई थी। सादी मिट्टी, केरोसिन मिश्रित मिट्टी, केरोसिन तेल युक्त एक टिन और मृतका उत्तराबाई के शव के पास रखी एक माचिस की डिब्बी को प्र.पी.-3 के तहत अभिगृहीत (जब्त) किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्र.पी.-16(स) के तहत घटना स्थल का नज़री नक्शा तैयार करवाया गया। ए.एस.आई. राजेश देवदास द्वारा 23.10.2000 को दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर, प्र.पी.-11 के तहत अपराध क्रमांक 53/00 दर्ज की गई। बालक सत्येंद्र कुमार की हत्या के कारण मृत्यु के लिए राजेश देवदास द्वारा 5.11.2000 को दर्ज रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत एक पृथक अपराध क्रमांक 56/00 दर्ज की गई, और अपीलार्थियों का उक्त आरोप में सत्र केस संख्या 481/00 में पृथक मुकदमा चलाया गया। अन्वेषण के दौरान अभिगृहीत वस्तुओं को प्र.पी.-15 के तहत रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के न्यायालय में अभियोग पत्र (चार्ज शीट) दाखिल किया गया, जिसने आगे कार्यवाही हेतु मामला सत्र न्यायाधीश,

बिलासपुर के न्यायालय को प्रेषित कर दिया, और उक्त मामला सत्र न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु अंतरित कर दिया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क एवं वैकल्पिक रूप से 498 क/34, धारा 302 एवं वैकल्पिक रूप से 302/34, और धारा 201 एवं वैकल्पिक रूप से 201/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए, जिन्होंने अपने अपराध पर आपत्ति जताई। अभियोजन द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया । इसके पश्चात, अभियुक्त/अपीलार्थियों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन मामले में उनके विरुद्ध उत्पन्न परिस्थितियों को नकारते हुए निर्दोषता और झूठे फंसाने का अभिवाक किया। अपीलार्थी सुरेश ने यह भी तर्क दिया कि घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था, और राकेश ने कहा कि वह दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के रूप में अपनी ड्यूटी के लिए पंचायत भवन गया हुआ था, जबकि अपीलार्थी शांतिबाई ने कहा कि वह नहाने के लिए नदी पर गई हुई थी। अपीलार्थियों ने अपने बचाव में लक्ष्मी ठाकुर और कृष्ण कुमार को क्रमशः प्र.सा.-1 और प्र.सा.-2 के रूप में परीक्षण कराया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों की सुनवाई के पश्चात, अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और इस निर्णय के कंडिका -1 में वर्णित रूप में दंडित किया गया।

7. विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के कंडिका-7 में विचारणीय विवाघकों का निर्धारण करने के उपरांत, डॉ. वी.पी. जैसवाल के साक्ष्य पर अवलंबन किया, जिन्होंने मृतका उत्तराबाई के शव पर शवपरीक्षण किया तथा अपनी रिपोर्ट प्र.पी./8 को सिध्द करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि मृतका की मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी । अपीलार्थियों के इस बचाव को खारिज करते हुए कि वे घटनाकाल में घर पर उपस्थित नहीं थे तथा अ. सा. -1 पुष्पादेवी (बहन), अ. सा.-2 उदानलाल दिनकर (पिता), अ. सा.-3 सरस्वती बाई (मृतका की माता), अ. सा.-4 मोहनलाल एवं अ. सा.-5 कावेरीबाई (अपीलार्थियों के पड़ोसी) के साक्ष्य पर अवलंबन लेते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी संख्या 1 एवं 2 मृतका के प्रति शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, अपीलार्थी संख्या 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथापि, चूंकि अभियुक्त के आवासीय गृह में मृतका उत्तराबाई का गला घोंटकर हत्या की गई थी और अपीलार्थियों ने यह कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि किन परिस्थितियों में उसकी हत्या हुई, ऐसी स्थिति में, अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अवलंबन लेते हुए पर भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के तहत एक अनुमान लगाया जा सकता है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थियों ने संयुक्त रूप से अपनी समान आशय को आगे बढ़ाते हुए उत्तराबाई का गला घोंटकर हत्या की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त का यह बचाव कि मृतका मिर्गी के बिमारी से पीड़ित थी, अतीत में भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ चुका था तथा एक मिर्गी के दौरे के परिणामस्वरूप श्वासावरोध उत्पन्न हो गया था, को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

8. श्री उत्कर्ष वर्मा, अधिवक्ता जो अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए, ने तर्क दिया कि परिवार में घरेलू विवाद आम बात है। अपीलकर्ता शांतिबाई के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने उत्तराबाई द्वारा किए गए घरेलू कार्य को पसंद नहीं करती थी और इसी कारण से वह नाराज हो जाती थीं और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। मृतका के पिता उदनलाल दिनकर ने यह भी

आरोप लगाया था कि शांतिबाई ने उत्तराबाई के माध्यम से उनसे एक कलर टी.वी. की मांग किया था, क्योंकि शादी के समय उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट टी.वी. दिया था। हालाँकि, उपरोक्त आरोप न्यायालय के समक्ष पहली बार लगाया गया है और सरस्वतीबाई अर्थात मृतका की माता अथवा पुष्पा की बहन ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। अपीलार्थियों का अपने पड़ोसी मोहनलाल के साथ विवाद चल रहा था और वे आपस में पिछले 5-6 वर्षों बातचीत नहीं करते थे। उपरोक्त शत्रुता के कारण, इस साक्षी ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाते हुए उनके विरुद्ध गवाही दी है, जिसे उसकी पत्नी कावेरीबाई (अ.सा.-5) ने स्वीकार किया है। मोहनलाल के बयान की सत्यता, साक्षी अ.सा.-7 शांतिबाई के साक्ष्य से झूठी साबित होती है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह है कि मृतका मिर्गी से पीड़ित थी और उसके पिता ने अपने बयान में इस तथ्य को स्वीकार किया है। साक्ष्य यह भी है कि उत्तराबाई को पहले भी मिर्गी का दौरा पड़ चुका था। इन परिस्थितियों में, मृतका के मिर्गी का दौरा पड़ने, परिणामस्वरूप दम घुटने से मृत्यु होने और उस प्रक्रिया में आग पकड़ लेने की संभावना को एकदम खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोदी की 'चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान' का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि मिर्गी के दौरे के दौरान वायु मार्ग के अंदर से अवरुद्ध

होने के कारण भी दम घुटना संभव है। गला घोंटने या गला दबाने से होने वाली मौतों के मामलों में आमतौर पर पाए जाने वाले आवश्यक लक्षण इस मामले में मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मृतका को 98% तक जलने के कारण चोटें आई थीं और इन परिस्थितियों में, शवपरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित चोट के निशान देखे नहीं जा सकते थे। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष केवल अनुमान एवं कल्पना पर आधारित है और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों से रहित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जो विचारण न्यायालय के इस आक्षेपित निर्णय का समर्थन कर रहे थे, ने तर्क दिया कि मृतका की मृत्यु उसके ससुराल वाले घर में हत्या में मानव वध थी । अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि हत्या करने के बाद, साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से उसके शव को आग लगा दी गई और पुलिस को यह गलत सूचना दी गई कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई है, जिसका खंडन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होता है। इन परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, घर में रहने वाले लोगों पर यह दायित्व (भार) होगा कि वे इस बात की एक विश्वसनीय और तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करें कि यह अपराध कैसे हुआ। घर के निवासी केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण

प्रस्तुत किए बिना इस कल्पित आधार पर बच नहीं सकते कि मुकदमे को साबित करने का पूरा भार अभियोजन पक्ष पर है।

10. निम्नलिखित मामलों में पारित न्यायिक निर्णयों पर विधिमान्य अवलंबन किया गया है: त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य[1], स्वामी श्रद्धानंद (उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा) बनाम कर्नाटक राज्य[2]।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है । हमने मामले की विचारण न्यायालय की अभिलेखों का तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन कर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अ.सा.-1 पुष्पादेवी (बहन), अ.सा.-2 उदानलाल दिनकर (पिता) तथा अ.सा.-3 सरस्वती बाई (मृतका की माता) के साक्ष्य का सारांश यह है कि उत्तराबाई का विवाह 5 मई, 1998 को अपीलार्थी सुरेश कुमार के साथ हुआ था और उसने अपीलार्थी सुरेश के द्वारा सत्येन्द्र कुमार को जन्म दिया। उत्तराबाई उन्हें सूचित करती थी कि अपीलार्थी शांतिबाई उसके घरेलू कार्यों की गुणवत्ता से असंतुष्ट रहती थी और इस कारण से वह उससे झगड़ा किया करती थी। उक्त

[1] AIR SCW 5300
[2] 2007 SC 2531

झगड़ों में अपीलार्थी सुरेश अपनी माता का समर्थन किया करता था और उक्त झगड़ों के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता था।

उदानलाल दिनकर ने यह भी बयान दिया है कि शांतिबाई, सुरेश से कहा करती थी कि उत्तराबाई के माता-पिता को तुरंत एक कलर टीवी का प्रबंध करना चाहिए, हालाँकि, उक्त तथ्य उनके डायरी बयान प्र.डी/1 में अनुपस्थित है। वे उत्तराबाई को पिछले तीज के त्योहार पर अपने घर ले आए थे। त्योहार के बाद, सुरेश आया और उसे ले गया। उस समय भी, उसने बताया था कि उसकी सास से अनबन अभी भी जारी है। कूई के थाना प्रभारी का टेलीफोन मिलने पर, वह उसी रात अपनी पत्नी के साथ कूई पहुँचा। उसे गाँव वालों द्वारा सूचित किया गया कि आधा जला हुआ सत्येन्द्र को इलाज के लिए मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाया जा रहा था, किंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। प्रति परीक्षा में, उन्होंने बताया कि उनका बयान 19 तारीख को दर्ज किया गया था और दिनांक 12.11.2000 को कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था। अपने बयान के पैरा-11 में, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उत्तराबाई बेहोश हो जाने की बीमारी से पीड़ित थी। उन्होंने उसका इलाज भी कराया था, हालाँकि उसकी यह बीमारी 4-6 महीनों के भीतर फिर से हो जाया करती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सरस्वती बाई, मृतका की माता, ने यह भी बयान दिया है कि उत्तराबाई उन्हें सूचित करती थी कि उसकी सास शांतिबाई शिकायत करती है कि उसे सफाई और खाना बनाना नहीं आता है, उसका काम शांतिबाई को पसंद नहीं आता है। उन्होंने उक्त शिकायत पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस प्रकार का घरेलू झगड़ा आम बात है। तीज के समय, उत्तराबाई ने उन्हें उक्त तथ्य बताए थे। उक्त शिकायत के अलावा उत्तराबाई ने उन्हें कुछ और नहीं बताया। उन्होंने विशेष रूप से बयान दिया है कि वह अपीलार्थी संख्या 3, उत्तराबाई के देवर, के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। उन्होंने अपीलार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कुछ भी बयान नहीं दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अ.सा. -4 मोहनलाल, अपीलार्थियों के घर के निकट सटे हुए एक घर में निवास करते हैं। उनके घरों के बीच 2-4 फीट का एक रास्ता है। इस साक्षी ने बयान दिया है कि सुरेश और शांतिबाई उत्तराबाई की पिटाई किया करते थे। उन्होंने अपने घर से पिटाई की चीखें सुनी थीं। हालाँकि, उन्होंने वास्तविक मारपीट नहीं देखी। एक शांतिबाई बरेटिन उत्तराबाई की मृत्यु से एक दिन पहले अपीलार्थियों के घर गई थी, उस समय सुरेश उत्तराबाई की पिटाई कर रहा था, उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, उन्होंने उनकी चीखें सुनीं। शांतिबाई कह रही थी, "मत पीटो, उसे छोड़ दो"। हालाँकि, उन्होंने कभी भी उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। घटना वाले दिन, वह पंडरिया गए थे और

लौटने पर उन्हें पता चला कि उत्तराबाई को आग लगा दी गई है और उसक हत्या कर दी गई है। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया है कि उनके बीच कोई विवाद है। उन्होंने यह भी इनकार किया है कि पिछले 5-6 वर्षों से उनके बीच बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बयान दिया है कि उनके आरोपी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उसने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया था कि घटना से एक दिन पूर्व शांतिबाई अपीलार्थियों के घर गई थी और उसने उत्तराबाई की पिटाई रोकी थी। वह यह नहीं बता सकते कि उनके बयान प्र.डी/2 में यह तथ्य अंकित क्यों नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अ.सा.-5 कावेरीबाई जो मोहनलाल की पत्नी हैं, ने भी बयान दिया है कि आरोपी व्यक्ति उत्तराबाई से झगड़ा करते थे, जो उन्होंने अपने घर से सुना। प्रति परीक्षा में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके और आरोपी व्यक्ति के बीच बातचीत बंद है तथा उन्होंने उत्तराबाई की मृत्यु से पहले ही एक-दूसरे के घर जाना बंद कर दिया था। छत की मरम्मत को लेकर दोनों परिवारों के बीच कुछ विवाद था।

16. अ.सा.-6 नरेंद्र सिंह, प्र.पी/2 के कथन का साक्षी है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि घटना वाले दिन, घटना के बारे में सुनकर, वह सुरेश के घर गया।

उसने देखा कि उत्तराबाई कमरे के अंदर जली हुई अवस्था में पड़ी थी, उसका एक – डेढ वर्ष का बच्चा जली हुई अवस्था में बाहर निकाला गया था, पंडरिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और उसे वापस सुरेश के घर लाया गया। ज़मीन पर पड़े आस-पास के कपड़े भी जले हुए थे। हालाँकि, रस्सी पर लटके हुए कपड़े नहीं जले थे। उनकी उपस्थिति में मृत्यु समीक्षा तैयार किया गया और उन्होंने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी भी अपीलार्थियों को मृतका से झगड़ते या तर्क-वितर्क करते नहीं सुना या देखा। आरोपी व्यक्ति और उत्तराबाई खुशी-खुशी और शांतिपूर्वक रह रहे थे। उत्तराबाई मिर्गी से पीड़ित थी, जैसा कि सुरेश कुमार ने बताया था, उन्होंने उत्तराबाई की दवा खरीदने के लिए सुरेश को दस से बीस रुपये दिए थे। घटना के समय, सुरेश कूई बाजार में अपनी चाय की दुकान पर गया हुआ था, अपीलार्थी राकेश ग्राम पंचायत के चौकीदार के रूप में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। ग्राम पंचायत 2 फर्लांग की दूरी पर है जबकि सुरेश की दुकान 100 मीटर की दूरी पर है। जब वे आरोपी व्यक्ति के घर पहुँचे, तो शांतिबाई ने उन्हें बताया कि वह नहा कर नदी से अभी-अभी लौटी है। राकेश ग्राम पंचायत भवन में रहता है और वहीं सोता है। पीडब्ल्यू-4 मोहनलाल और आरोपी व्यक्ति के बीच पिछले 5-6 वर्षों से विवाद चल रहा है और उनके बीच बातचीत बंद है तथा वे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक-दूसरे के घर नहीं जाते हैं। रस्सी पर लटके कपड़े नहीं जले थे क्योंकि वे दूरी पर थे।

17. शांतिबाई (अ.सा.-7) ने आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी बयान नहीं दिया है और उन्हें पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रति-परीक्षा में भी, उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कुछ भी बयान नहीं दिया।

18. अ.सा. 8 जगमोहन गुप्ता ने बयान दिया है कि वह आरोपी व्यक्ति को पहचानते हैं। उन्होंने सुरेश की पत्नी को भी देखा था, जो अब मृत है। वह अपना सामान आरोपी व्यक्ति के घर में रखा करते थे। उन्होंने सुरेश की पत्नी को लगभग 9-9.30 बजे देखा, उन्होंने उसे बताया कि वह अपना सामान ले जा रहा है, उस समय आरोपी व्यक्ति मौजूद नहीं थे। लगभग 10.30 बजे जब वह अपनी दुकान पर थे, तो उन्होंने आग की घटना के बारे में सुना और उसके बाद यह सुना कि सुरेश की पत्नी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने उस दिन मृतका को किसी व्यक्ति से झगड़ते हुए नहीं देखा। अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी प्रति-परीक्षा की गई, हालाँकि, उन्होंने प्र.पी./5 के चिह्नित अंश में वर्णित कोई बयान देने से इनकार कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अ.सा. 9 रामप्रसाद ने बयान दिया है कि उन्होंने सुना था कि उत्तराबाई जलने से मर गई थी। घटना के बारे में सुनकर, वह लगभग 2.30 बजे सुरेश के घर गया, उसने देखा कि सुरेश के बेटे को जलने के कारण घायल था और वह जीवित था। बच्चे को मोटरसाइकिल पर पंडरिया ले जाया गया, हालाँकि, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और उसे वापस लाया गया। उसने उत्तराबाई का शव भी जमीन पर पड़ा हुआ देखा था। पुलिस द्वारा जांच किए जाने के समय वह मौजूद था। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उत्तराबाई मिर्गी से पीड़ित थी। एक दिन उन्होंने देखा कि उत्तराबाई जमीन पर गिर पड़ी थी, जिस पर वह उसकी ओर दौड़ा और पाया कि मिर्गी के दौरे के परिणामस्वरूप उसके मुँह से झाग निकल रहा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अ.सा. 10 डॉ. वी.पी. जैसवाल ने उत्तराबाई के शव पर पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट एक्स.पी/8 को साबित किया। उन्होंने बयान दिया कि उसके दोनों पैरों और हाथों यानी ऊपरी और निचले अंगों में अकड़न मौजूद था, उसके बाएं हाथ के सामने और भीतरी हिस्से को छोड़कर, उसके शरीर का बाकी हिस्सा जला हुआ था और जलने के कारण उसकी त्वचा काली पड़ गई थी। उसके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। उसकी आँखें बंद थीं, आँखों का सफेद हिस्सा लाल था, जीभ मुँह के अंदर थी और नथुनों में खून

मौजूद था। ऊपरी बाएं इन्साइज़र दांत और निचले दोनों तरफ के केंद्रीय इन्साइज़र दांत अपने सॉकेट में हिल रहे थे, शरीर पर छोटे-छोटे फफोले मौजूद थे, त्वचा के जले हुए और बिना जले हिस्से के बीच लालिमा की रेखा अनुपस्थित थी। लालिमा की रेखा का अनुपस्थित होना मरणोपरांत चोटों का सुझाव देता है। दायीं बगल पर 3 cm x 4 cm आकार का रक्ताधिक्य है, बाह्य जननांग छिद्र के चारों ओर 3 cm का गोलाकार रक्ताधिक्य है। फफोले की चीर-फाड़ करने पर, आधार हल्के रंग का पाया गया। गर्दन की त्वचा को काटने के बाद, थायरॉयड क्षेत्र में, एक रक्तस्रावित ऊतक पाया गया और थायरॉयड क्षेत्र पर गर्दन की मांसपेशियाँ दिखाई दीं। बगल और योनि क्षेत्र में रक्ताधिक्य में रक्तस्रावित रक्त दिखाई दिया, चीर-फाड़ के बाद थायरॉयड क्षेत्र के नीचे श्वासनली अत्यधिक रक्तसंकुल पाई गई, हृदय के दाएं कक्ष में खून से भरा हुआ था, जबकि बाएं कक्ष में थोड़ी मात्रा में खून मौजूद था। उरोस्थि (Sternum) क्षेत्र की चीर-फाड़ करने पर, गर्दन के नीचे थक्का बना हुआ खून पाया गया। गर्दन के थायरॉयड क्षेत्र में पाया गया रक्ताधिक्य, और दाएं बगल तथा जननांगों की चोटें मृत्युपूर्व थीं। अत्यधिक रक्तसंकुल श्वासनली और श्वासनली में रक्तस्रावित ऊतक के साथ खून पाया गया। इन सभी तथ्यों से यह आभास मिलता है कि गर्दन पर किसी कठोर और कुंद वस्तु द्वारा दबाव डाला गया था। दांतों की चोट और दाएं बगल तथा योनि क्षेत्र के घाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर रक्ताधिक्य, किसी कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुए थे। शरीर पर दिखने वाली जलन मरणोपरांत प्रकृति की है जो आग की लपटों के कारण हुई थी। मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के समय से 18-24 घंटे पहले का था।

डॉक्टर ने आगे यह राय दी है कि उत्तराबाई की मृत्यु का तरीका गला घोंटने के कारण हुई दम घुटने से है, यह हत्या प्रकृति में मानव वध है, और शरीर पर दिखने वाली जलन मरणोपरांत प्रकृति की है। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मिर्गी के दौरे में, मुँह और नाक से झाग निकलता है, यदि कोई व्यक्ति जल रहा हो तो झाग हवा का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। इस स्थिति में, यह संभव है कि श्वासनली में कार्बन के कण नहीं मिलें क्योंकि व्यक्ति 1/2-1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक सकता है और उसके बाद, उसे सांस लेनी पड़ती है और तब श्वासनली में कार्बन के कण मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आगे सांस लेने से पहले मर जाता है, तो उस स्थिति में, कार्बन के कण नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कई बार यह संभव है कि मिर्गी के दौरे 10 मिनट तक जारी रह सकते हैं। मृत्युपूर्व जलन के कारण हुए फफोले का आधार लालिमायुक्त होगा। यदि किसी महिला की गला घोंटकर हत्या की जाती है, तो उसे कोहनी, पैर के निचले हिस्से पर चोटें आ सकती हैं, जीभ और आँखें बाहर आ सकती हैं, हालाँकि, उपरोक्त लक्षण आवश्यक नहीं हैं। मिर्गी के कारण फेफड़ों में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रक्ताधिक्य हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि गला घोंटने पर कान से खून बहे ही। उन्हें गर्दन या शरीर के अन्य भागों की किसी भी हड्डी का कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। उत्तराबाई के शरीर पर जलन की चोट की सीमा 98% थी, हालाँकि इसका उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि जलन के इस प्रतिशत के साथ, रक्ताधिक्य की पहचान करना संभव नहीं था। इस साक्षी ने आगे बताया है कि श्वासनली का भीतरी हिस्सा रक्तसंकुल नहीं पाया गया था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि उत्तराबाई की मृत्यु का कारण आत्महत्या था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. विचारण न्यायालय ने डॉ. जैसवाल के साक्ष्य पर अवलंब लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटकर गर्दन दबाये जाने के कारण दम घुटने के परिणामस्वरूप हुई थी। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद यह राय दी कि मृतका की गर्दन किसी कठोर और कुंद वस्तु द्वारा दबाई गई थी और मृत्यु का कारण दम घुटना था तथा मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी।

22. मोदी की मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस के 23वें संस्करण के पृष्ठ 575 पर गला घोंटना को फांसी के अलावा किसी अन्य बल द्वारा गर्दन का दबाव डालना परिभाषित किया गया है। गला घोंटने के प्रकार इस प्रकार दिए गए हैं:

(i) लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन - (गर्दन को किसी फंदा या रस्सी से दबाना), (ii) थ्रॉटलिंग (मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन) - (हाथ से दबाना), (iii) मगिंग - (बांह, पैर या कलाई से दबाना), (iv) बंसदला - (गर्दन दबाने के लिए लकड़ी की छड़ी का उपयोग), (v) गैरोटिंग - (एक रस्सी या कपड़ा और एक लकड़ी की छड़ी को लीवर के रूप में उपयोग कर कसना), और (vi) आकस्मिक गला घोंटना - (जो किसी व्यक्ति के काम के दौरान हो सकता है जब कोई टाई या स्कार्फ चलती मशीनरी में फंस जाता है आदि)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि श्वासनली पूरी तरह से बंद नहीं होती है, तो चेहरा नीला पड़ जाता है, मुँह, नथुनों और कानों से रक्तस्राव होता है, हाथ मुट्ठी में बंद हो जाते हैं और मृत्यु में देरी होने पर ऐंठन होती है।

यदि गला घोंटने के लिए उंगलियों का उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर श्वासनली (विंडपाइप) के दोनों ओर अंगूठे और उंगलियों के दबाव के निशान पाए जाते हैं। अंगूठे का निशान आमतौर पर गर्दन के सामने के एक तरफ ऊंचा और चौड़ा होता है, और उंगलियों के निशान इसके दूसरी तरफ तिरछे नीचे और बाहर की ओर तथा एक के नीचे एक स्थित होते हैं। कई बार, निशान इतने एक साथ समूहीकृत पाए जाते हैं कि उन्हें अलग-अलग पहचाना नहीं जा सकता।

यदि गला दोनों हाथों से दबाया जाता है, तो गर्दन के सामने के भाग के साथ-साथ उसके पीछे के भाग पर भी खरोंच और घर्षण के निशान पाए जा सकते हैं। इन निशानों के अलावा, मुँह, नाक, माथे, गालों, निचले जबड़े या शरीर के किसी अन्य भाग पर खरोंच और रक्ताधिक्य के निशान मिल सकते हैं यदि कोई संघर्ष हुआ हो। यदि हमलावर पीड़ित की छाती या पेट पर घुटने टेककर उसका गला दबाता है, तो पसलियों के फ्रैक्चर और वक्षीय एवं उदरीय अंगों में चोटें मौजूद हो सकती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि किसी छड़ी या पैर का उपयोग किया जाता है, तो गर्दन के सामने के बीच के हिस्से में, आमतौर पर श्वासनली के आर-पार, उपयोग की गई वस्तु की चौड़ाई के अनुरूप एक रक्ताधिक्य होता है। यदि दो छड़ियों का उपयोग किया जाता है, तो गर्दन के पिछले हिस्से पर भी इसी तरह का निशान होगा। ऐसे मामले में, कई सामान्य चोटें स्पष्ट होंगी।

गला घोंटने के कारण हुई श्वसनावरोध की वजह से दिखने वाले लक्षणों का वर्णन करते हुए, यह अवलोकन किया गया है कि चेहरा सूजा हुआ और नीला पड़ा हुआ होता है, और रक्तिमा के निशान से युक्त होता है। आँखें उभरी हुई और खुली हुई होती हैं। कुछ मामलों में, वे बंद भी हो सकती हैं। नेत्रश्लेष्मला रक्तसंकुल होती है और पुतलियाँ फैली हुई होती हैं। पलकों और नेत्रश्लेष्मला में रक्तिमा देखी जाती है। होंठ नीले होते हैं। मुँह और नथुनों

से खूनी झाग निकलता है, और कभी-कभी, मुँह, नाक और कानों से शुद्ध खून निकलता है, खासकर यदि अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया गया हो। जीभ अक्सर सूजी हुई , रक्ताधिक्ययुक्त, बाहर निकली हुई और गहरे रंग की होती है, जिसमें रक्तस्राव के धब्बे दिखाई देते हैं और कभी-कभी दांतों से कटी हुई होती है। गर्दन के पिछले हिस्से पर रक्ताधिक्य के सबूत हो सकते हैं। हाथ आमतौर पर मुट्ठी में बंद होते हैं। जननांग रक्तसंकुल हो सकते हैं और मूत्र, मल और वीर्य द्रव का स्राव हो सकता है।

आंतरिक रूप-रचना: फंदा के निशान या उंगलियों के निशानों के नीचे त्वचा के नीचे के ऊतकों में तथा गर्दन की आस-पास की मांसपेशियों में, जो आमतौर पर फटी हुई होती हैं, रक्त का रिसाव होता है। कभी-कभी, कैरोटिड धमनी के आवरण के साथ-साथ उनकी आंतरिक परतों का भी विदरण होता है, जिससे उनकी दीवारों में रक्त का जमाव हो जाता है। हायोइड अस्थि के श्रृंग के साथ-साथ थायरॉयड उपास्थि के ऊपरी श्रृंग का भी फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन गर्दन की रीढ़ की हड्डियों का फ्रैक्चर अत्यंत दुर्लभ होता है।

स्वरयंत्र और श्वासनली रक्तसंकुल होते हैं और इनमें झागदार बलगम होता है। जब काफी बल का उपयोग किया जाता है तो स्वरयंत्र की उपास्थियाँ या श्वासनली के छल्ले टूट सकते हैं। आमतौर पर हायोइड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्थि और थायरॉयड उपास्थि के ऊपरी श्रृंग आम तौर पर गला घोंटने के अलावा किसी अन्य साधन से नहीं टूटते, हालाँकि दुर्लभ मामलों में गिरने से स्वरयंत्र और श्वासनली टूट सकते हैं। फेफड़े आमतौर पर स्पष्ट रूप से रक्तसंकुल होते हैं जिनमें रक्तस्रावी धब्बे और रक्तिमा दिखाई देते हैं और चीर-फाड़ करने पर गहरे रंग का तरल खून निकलता है। हृदय का दायां भाग गहरे रंग के तरल खून से भरा होता है और बायां भाग खाली होता है। श्वसन नलिकाएं में आमतौर पर खून से सना झागदार बलगम होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गला घोंटने के कारण मृत्यु होने के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, यह आवश्यक है कि उंगलियों, पैर, घुटने आदि के कारण हुए फंदा के निशान या रक्ताधिक्य के निशानों के अलावा अंतर्निहित ऊतकों में हिंसा के प्रभावों और दम घुटने से मृत्यु के अन्य लक्षणों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही, अल्पऑक्सिक या दम घुटने से मृत्यु के अन्य संभावित कारणों को भी वर्जित किया जाना चाहिए।

श्वसनावरोध से होने वाली मौतों से संबंधित, 'घुटन' शब्द को उस प्रकार की मौत के रूप में परिभाषित किया गया है जो गर्दन के दबाव के अलावा अन्य साधनों द्वारा फेफड़ों में हवा के प्रवेश में रुकावट के परिणामस्वरूप होती है। और यह अवलोकन किया गया है कि मिर्गी के दौरे के दौरान कभी-कभी वायु मार्ग का अंदर से रुकावट या घुटन हो सकता है।

मुलख राज एवं अन्य बनाम सतीश कुमार एवं अनय के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टेलर के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस का हवाला देते हुए कहा कि श्वसनावरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्वसन प्रक्रिया में किसी यांत्रिक हस्तक्षेप के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नीलिमा त्वचा, श्लेष्मा झिल्लियों और आंतरिक अंगों, विशेष रूप से तिल्ली, यकृत और गुर्दे के नीले रंग को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दम घुटने के सामान्य लक्षण: सिर और चेहरे पर तीव्र रक्तसंकुलन और नीलिमा के साथ कई रक्तिमा दिखाई दे सकते हैं। मुँह और नाक से खून रिसता है। वायु मार्गों में खून से रंगा झागदार तरल मौजूद होता है। मुँह और गले के पिछले हिस्से में बलगम पाया जा सकता है। फेफड़े, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है , आमतौर पर अंत:कूपिक केशिकाओं के रक्तसंकुलन के अतिरिक्त, वायुकोशिकाओं में शोथ तरल की उपस्थिति, रक्तस्राव और संपतन के साथ बीच-बीच में वातस्फीति दिखाते हैं।

सामान्य आंतरिक लक्षण: आंतरिक रूप से वायु मार्गों में बारीक झाग होता है, जो अक्सर खून से सना होता है। फेफड़े रक्तसंकुल होते हैं जिनमें उप-फुफ्फुस अस्तर रक्तिमा होती है। सूक्ष्मदर्शी पर आमतौर पर तीव्र अंत:कूपिक रक्तसंकुलन, विभिन्न आकारों में रक्तस्राव, वायुकोशिकाओं में

तरल, संपतन के क्षेत्र और फटी हुई वायुकोशिकाओं के बीच के क्षेत्र होते हैं। वायु मार्गों में अक्सर विच्छेदित श्वसन उपकला , लाल रक्त कोशिकाएं और तरल के बड़े क्षेत्र होते हैं। शेष अंग केवल रक्तसंकुलन परिवर्तन दिखाते हैं।

गर्दन पर बना निशान आमतौर पर उस संकुचित करने वाली वस्तु की चौड़ाई जितना ही होता है और इसकी गहराई उसके व्यास की लगभग आधी होती है।

हस्तकृत गला घोंटने में रक्ताधिक्य के निशान मुख्य रूप से गर्दन के सामने या बगल में, स्वरयंत्र के आसपास होते हैं। हालाँकि, उंगलियों के दबाव के निशान अनुपस्थित हो सकते हैं। यदि ये निशान मौजूद हैं, तो उनका वितरण परिस्थितियों के अनुसार भिन्न होगा, और इसे प्रभावित करने वाले कारकों में हमलावर और पीड़ित की सापेक्ष स्थिति, गर्दन को पकड़ने का तरीका (यदि पकड़ बदली गई हो या पीड़ित के संघर्ष करने पर दोबारा लगाई गई हो तो निशान अधिक होंगे), और दबाव की डिग्री शामिल है। गले के ठोस ऊतक संदिग्ध गला घोंटने के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन ठोस संरचनाओं में हायोइड अस्थि और स्वरयंत्र बनाने वाली उपास्थियाँ शामिल हैं। यदि शरीर की गर्दन पर ऐसे निशान पाए जाते हैं जो हस्तकृत गला घटने का संकेत देते हैं और इसकी पुष्टि मुर्दाघर और प्रयोगशाला में की जाती है, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस मामले को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हत्या माना जाना चाहिए। यह अकल्पनीय है कि कोई व्यक्ति अपने ही हाथ से गर्दन दबाने से मर सकता है, क्योंकि चेतना खोने से संकुचित करने वाली उंगलियाँ ढीली पड़ जाएंगी।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह स्पष्ट है कि डॉ. जैसवाल के निष्कर्ष और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज तथ्य, गला घोंटने से होने वाली मृत्यु के चिकित्सकीय सिद्धांतों से पूर्णतः सामंजस्य नहीं रखते हैं। जैसा कि तुलना से स्पष्ट है डॉक्टर द्वारा गर्दन पर किसी कठोर वस्तु के दबाव का आकलन केवल आंतरिक परीक्षण पर आधारित था, जैसे कि थायरॉयड क्षेत्र में थक्का बना रक्त, अत्यधिक रक्तसंकुलित श्वासनली और श्वासनली क्षेत्र में रक्तस्रावित ऊतकों की उपस्थिति। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उपरोक्त लक्षण मिर्गी के दौरे के कारण वायुमार्ग के अवरुद्ध होने से भी संभव हो सकते हैं। चूंकि मृतका मिर्गी से पीड़ित थी, इसलिए यह संभावना भी विचारणीय है कि दौरे के दौरान वायुमार्ग में रुकावट या श्वासावरोध से उपरोक्त लक्षण उत्पन्न हुए हों। अतः, डॉक्टर का यह निष्कर्ष कि मृत्यु का कारण बाह्य वस्तु द्वारा गला घोंटना था, पूर्णतः निर्विवाद प्रतीत नहीं होता है और इसमें चिकित्सकीय संदेह की गुंजाइश बनी रहती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्युपूर्व और मरणोपरांत जलन के बीच अंतर को मोदी द्वारा पृष्ठ 637 पर रेखांकित किया गया है, जिसके अनुसार मृत्युपूर्व और मरणोपरांत जलन के बीच अंतर करने के लिए तीन मुख्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: (क) लालिमा की रेखा, (ख) फफोले, और (ग) मरम्मत प्रक्रियाएं।

(क) महत्वपुर्ण प्रतिक्रियाओं का प्रमाण - लालिमा की रेखा: यदि जलन जीवित अवस्था में हुई है, तो घायल हिस्से के चारों ओर पूरी वास्तविक त्वचा में एक लालिमा की रेखा बनती है। यह एक स्थायी रेखा होती है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, लेकिन इस रेखा के बाहर केशिकाओं के फैलने के कारण होने वाली लालिमा या प्रकाम्लता अस्थायी होती है, जीवित अवस्था में दबाव देने पर गायब हो जाती है और मृत्यु के बाद फीकी पड़ जाती है। लालिमा की रेखा, एक जीवित प्रक्रिया होने के कारण, जीवित और मृत ऊतकों को अलग करती है, और अक्सर जीवित अवस्था में हुई जलन में मौजूद होती है, हालाँकि इसे दिखने में कुछ समय लगता है। हालाँकि, यह संभव है कि यह अनुपस्थित हो (उदाहरण के लिए, बहुत कमजोर शरीर वाले व्यक्ति में जो जलने के झटके से तुरंत मर जाता है)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ख) फफोले: जीवित अवस्था में जलने से उत्पन्न फफोले में एक शोथिका द्रव होता है जिसमें एल्ब्यूमेन, क्लोराइड्स, और अक्सर कुछ बहुरूपी श्वेत रक्त कोशिकाएँ होती हैं और इसका आधार लाल, सूजा

हुआ होता है जिसमें उभरी हुई अंकुरण होती हैं। इसके आसपास की त्वचा चमकीले लाल या तांबे के रंग की होती है। इसे वास्तविक फफोले के रूप में जाना जाता है, जिसकी तुलना असत्य फफोले से की जाती है जो मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं। असत्य फफोले में केवल हवा होती है लेकिन इसमें एल्ब्यूमेन और क्लोराइड के अंश वाले सीरम की बहुत कम मात्रा भी हो सकती है। साथ ही, इसका आधार कठोर, सूखा, श्रृंगी और पीला होता है, न कि लाल और सूजा हुआ।

(ग) मरम्मत प्रक्रियाएँ: मरम्मत प्रक्रियाएँ, जैसे सूजन के लक्षण, दानेदार ऊतक का निर्माण, मवाद और मृत ऊतक की उपस्थिति, यह इंगित करेंगे कि जलन जीवित अवस्था में हुई थी। मृत्यु के बाद हुई जलन में कोई जीवित महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दिखती है और इसमें त्वचा ग्रंथियों के छिद्र ग्रे रंग के साथ एक सुस्त सफेद उपस्थिति होती है। आंतरिक अंग भुन जाते हैं और एक विशेष दुर्गंध छोड़ते हैं। हालाँकि, स्पिट्ज और फिशर ने बताया है कि नग्न आंखों से या ऊतकीय परीक्षण द्वारा यह स्थापित करना संभव नहीं है कि जलन मृत्यु से ठीक पहले या बाद में हुई थी। केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य ही इसका उत्तर दे सकते हैं। मलिक ने गिनी पिग्स में त्वचा जलन के उपचार के प्रारंभिक चरण में एंजाइम परिवर्तनों का वर्णन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुलख राज के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मृत्युपूर्व और मरणोपरांत जलन के बीच अंतर पर विचार करते हुए पैरा-13 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

13. मृत्युपूर्व तथा मृत्युपश्चात जलनों के बीच अंतर के संबंध में, उन्होंने लालिमा की रक्तवाहिनी का निर्माण, फफोले पड़ने और मरम्मत की प्रक्रियाओं रेखाओं को विशिष्ट लक्षणों के रूप में बताया। उन्होंने इसी को बाद में विस्तार से समझाया। इसका अध्ययन करने से अंतर स्पष्ट हो जाता है और इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

(1) मृत्युपूर्व जलने की चोटों की विशेषता श्वासनली में जली हुई कार्बन के कणों की उपस्थिति होती है, जो मृत्युपश्चात जलने की चोटों के मामले में अनुपस्थित होती है।

(2) मृत्युपूर्व जलने की स्थिति में हृदय के रक्त में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जो मृत्युपश्चात जलने के मामले में अनुपस्थित होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) मृत्युपूर्व जलन आमतौर पर लाल रंग की होती है, क्योंकि शरीर की प्रणाली क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए रक्त को तेजी से प्रवाहित करती है; यह मृत्युपश्चात जलन से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है, जो सख्त और पीले रंग की होती है।

(4) मृत्युपूर्व जलन में फफोले स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। ये फफोले मृत्युपश्चात जलन में भी दिखाई दे सकते है, किन्तु वे मृत्युपूर्व जलन के फफोलों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। मृत्युपूर्व जलन के फफोलों में प्रोटीन युक्त द्रव भरा होता है, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की पर्याप्त मात्रा होती है। यह संक्रमणों से लड़ने के लिए शरीर की प्रणाली द्वारा श्वेत रक्त कणिकाओं को भेजे जाने के कारण होता है। इनमें प्रोटीन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि गर्म करने पर यह ठोस हो जाता है। मृत्युपश्चात फफोलों के द्रव में शायद ही कोई प्रोटीन होता है; उपस्थित द्रव में प्रोटीन इतनी नगण्य मात्रा में होता है कि गर्म करने पर केवल एक हल्की-सी ओपेलसेंस (धुंधलापन) दिखाई देती है। मृत्युपश्चात फफोलों के द्रव में कोई श्वेत रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) मृत्युपूर्व जलन में, जले हुए क्षेत्रों के आस-पास मरम्मत करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं क्योंकि ये एंजाइम जले हुए ऊतकों की मरम्मत का प्रयास करते हैं। इनकी उपस्थिति का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि व्यक्ति को जले हुए कितना समय हुआ है। विभिन्न एंजाइम निम्नलिखित समय के पश्चात दिखाई देते हैं:

(क) एंजाइम एस्टेरेज़ - लगभग 30 मिनट के पश्चात (ख) ल्यूसीन एमिनोपेप्टिडेज़ - लगभग 2 घंटे के पश्चात (ग) अम्ल फॉस्फेटेज़ - लगभग 3 घंटे के पश्चात (घ) क्षारीय फॉस्फेटेज़ - लगभग 5 घंटे के पश्चात मृत्युपश्चात जलन में इन मरम्मतकारी एंजाइमों का पता नहीं चलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) जलन की चोट में संक्रमण के लक्षण केवल इस निष्कर्ष पर पहुँचाते हैं कि जलन की चोट मृत्युपूर्व प्रकृति की है, क्योंकि मृत्युपश्चात जलन की चोट में केवल सड़न हो सकती है, संक्रमण नहीं। चूंकि संक्रमण जलने के लगभग 36 घंटे बाद होता है, इसलिए कोई भी आसानी से जलन की चोटों के होने के समय का अनुमान लगा सकता है।

वर्तमान मामले में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह देखा गया कि श्वासनली में जले हुए कार्बन के कण उपस्थित थे या नहीं, इसका उल्लेख नहीं किया गया। हृदय कोष्ठ में पाए गए रक्त को यह पुष्टि करने के लिए रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया कि उसमें कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन उपस्थित है या नहीं। इस आधार पर कि जली और बिनाजली त्वचा के बीच लालिमा की रेखा अनुपस्थित थी तथा शव पर उपस्थित फफोलों का आधार हल्के रंग का था न कि लालिमायुक्त, यह निष्कर्ष निकाला गया कि शव पर उपस्थित चोटें मृत्युपश्चात प्रकृति की थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अधिनस्त न्यायालय ने अपीलार्थियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया है। वे परिस्थितियाँ, जिनके आधार पर दोषसिद्धि की गई है, वे हैं कि: (i) अपीलार्थी शांतिबाई का मृतका उत्तराबाई के साथ संबंधों में मतभेद था क्योंकि वह मृतका के घरेलू कार्यों के निष्पादन के तरीके से सहमत नहीं थी, (ii) पड़ोसियों ने अपीलार्थियों को मृतका से झगड़ते हुए और उसे पीटते हुए सुना था, (iii) अपीलार्थी सुरेश और मृतका एक ही छत के नीचे साथ-साथ रहते थे; (iv) मृतका की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई और उसके बाद, साक्ष्य को नष्ट करने के लिए उसके शव को आग लगा दी गई, और (v) अपीलार्थियों ने यह कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया कि गला घोंटने से

उसकी मृत्यु कैसे हुई। अधिनस्त न्यायालय ने अपीलार्थियों के इस बचाव को खारिज कर दिया कि घटना के समय, वे घर पर उपस्थित नहीं थे, बचाव पक्ष के गवाहों के बयान को अविश्वसनीय मानते हुए। अपीलकर्ताओं ने इस तर्क को खारीज कर दिया कि घटना, स्वीकृत रूप से, दिन के समय लगभग 12:30 बजे घटित हुई। अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना के समय अपीलार्थी घर के अंदर उपस्थित थे। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष के साक्षी नरेंद्र सिंह (अ.सा.-6) का निर्विवाद बयान है, जिन्होंने गवाही दी है कि अपीलार्थी सुरेश और राकेश अपने काम पर गए हुए थे जबकि शांतिबाई ने उन्हें बताया कि वह नदी से वापस लौट रही है। बचाव पक्ष के साक्षी लक्ष्मी ठाकुर (ब.सा. 1) और कृष्ण कुमार (ब.सा. 2) ने भी इसी प्रकार की गवाही दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. विचारण न्यायालय ने अ.सा. 4 और अ.सा. 5 के साक्ष्य पर अत्यधिक अवलंब लेते हुए, यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी शांतिबाई और सुरेश का मृतका उत्तराबाई के साथ संबंधों में मतभेद था और वे उसे पीटा करते थे। हालाँकि, उनके साक्ष्य से हम पाते हैं कि अ.सा. 4 मोहनलाल सत्य का साक्षी नहीं है क्योंकि उसने जानबूझकर इस तथ्य को दबाया है कि अपीलार्थियों के साथ उसके संबंध पहले से ही मतभेदपूर्ण थे, वे एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना नहीं

करते थे और वे बातचीत तक नहीं करते थे, जबकि उसने कहा है कि अपीलार्थियों के साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध थे, जो कि उसकी पत्नी के साक्ष्य से असत्य साबित होता है, जिसने मतभेदपूर्ण संबंधों के बारे में स्वीकार किया है। इस पहलू को अटकलों और अनुमानों के आधार पर नजरअंदाज कर दिया गया कि पड़ोसी, जिसे अपीलार्थियों के साथ रहना है, उन्हें एक झूठे मामले में फंसाएगा नहीं और उनका साक्ष्य स्वाभाविक है।

25. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र विवेचन पर, जिसमें चिकित्सीय साक्ष्य भी शामिल हैं, हमारा विचार है कि इस जघन्य कृत्य को करने के लिए अपीलार्थियों को जो हेतुक बताया गया है, वह पूर्ण रूप से काल्पनिक एवं कमजोर और दुर्बल है। कोई भी विवेकशील व्यक्ति अपनी ही पत्नी, जिससे उसकी एक संतान उत्पन्न हुई है, की हत्या का इतना जघन्य कार्य केवल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी माता मृतका द्वारा घरेलू कार्यों के निष्पादन के तरीके से असंतुष्ट थी। हम यह भी देखते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को भी अनदेखा किया है कि शिशु सत्येंद्र की मृत्यु भी उसी घटना में अस्पताल ले जाते समय मार्ग में उसे लगी जलन की चोटों के परिणामस्वरूप हुई। यदि अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास किया जाए, तो उस स्थिति में, अपीलार्थियों ने पहले मृतका उत्तराबाई की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गर्दन किसी कठोर और कुंद वस्तु से दबाकर उसकी हत्या की, उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने उसके शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। यह परिकल्पना यह स्पष्ट नहीं करती कि 1-1/2 वर्ष की आयु के शिशु को जलने की चोटें कैसे आईं। यदि अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि उत्तराबाई के शव को आग लगाने के बाद, अपीलार्थियों ने बच्चे को मृतका के जलते हुए शव पर फेंक दिया और इस प्रकार उसे आग लग गई, तो उस स्थिति में, किन परिस्थितियों में वह बच गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. त्रिमुखी मराठ किरकर के मामले में, अपीलार्थी, जो मृतका का पति था, अपनी पत्नी को 25000/- रुपये के दहेज के लिए दुर्व्यवहार किया करता था, जिसे उसके माता-पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण पूरा नहीं किया जा सका। अपीलार्थी ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी की मृत्यु साँप के काटने से हुई है। उसने वह स्थान भी दिखाया जहाँ उसे कथित रूप से साँप ने काटा था। हालाँकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलासा करती है कि उसकी मृत्यु गर्दन दबाए जाने के कारण श्वासावरोध से हुई। आरोपी को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया, हालाँकि, पति और अन्य आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए/34 के तहत दोषी ठहराया गया। राज्य द्वारा अधिमानित अपील को स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थियों को भारतीय

दंड संहिता की धारा 302 के तहत सिध्ददोष ठहराया गया। अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दहेज मृत्यु का अपराध पूर्ण गोपनीयता के साथ घर के भीतर किया जाता है। आरोप सिद्ध करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मामलों के समान स्तर की नहीं हो सकती। मृत्यु के कारण के बारे में घर के निवासियों की चुप्पी परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाती है। दहेज के लिए दुर्व्यवहार के साक्ष्य पर विचार करते हुए और यह भी विचार करते हुए कि पति ने दूसरों को सूचना दी कि उसकी मृत्यु साँप के काटने से हुई, जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य उसके शरीर पर पाए गए चोटों के आधार पर मृत्यु का कारण गला घोंटना दर्शाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धता को बरकरार रखा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. स्वामी श्रद्धानंद के मामले में, आरोपी की पत्नी 28 मई, 1991 से लापता थी। असकी पुत्री द्वारा पूछे जाने पर, आरोपी ने झूठी सूचना दी कि वह एक बच्चे को जन्म देने के लिए विदेश गई हुई है तथा अन्य झूठे स्पष्टीकरण दिए। जब मृतका की पुत्री आरोपी से मिलने मुंबई आई, तो उसे अपनी माता का पासपोर्ट भी मिला, जिसकी जांच से यह स्पष्ट हो गया कि वह अमेरिका या

लंदन नहीं गई थी जैसा कि उसे बताया गया था । उसने एक गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज की। अन्वेषण के दौरान, आरोपी की पूछताछ से उसकी पत्नी के शव की बरामदगी हुई। इसके बाद, आरोपी पर हत्या का आरोप लगाया गया। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि, जहाँ पत्नी की मृत्यु अपने और अपने पति द्वारा साझा किए गए शयनकक्ष में एक अप्राकृतिक मृत्यु होती है, पति को उन परिस्थितियों की व्याख्या करनी होगी जिनमें उसकी मृत्यु हुई। किसी भी स्पष्टीकरण का अभाव आरोपी के विरुद्ध एक परिस्थिति मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम पहले ही देख चुके हैं कि मृतका उत्तराबाई की मौत के लिए अपीलार्थियों को जो हेतुक बताया गया है, वह अत्यंत कमजोर है। इस बात का कोई साक्ष्य पूर्णतः अनुपस्थित है कि घटना के समय अपीलार्थी घर में उपस्थित थे। इसके विपरीत, निर्विवाद साक्ष्य है कि अपीलार्थी संख्या १ और ३ अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, और अपीलार्थी संख्या ३ नदी पर स्नान करने गई थी। असा. 4 और 5 का यह साक्ष्य कि अपीलार्थियों द्वारा मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, विश्वसनीय नहीं लगता क्योंकि मृतका के माता-पिता ने भी यह आरोप नहीं लगाया था कि मृतका को अपीलार्थी सुरेश द्वारा पीटा जाता था और डॉक्टर

की राय, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों पर आधारित है और जिस पर विचारण न्यायालय ने कार्यवाही की, इतनी निर्णायक गुणवत्ता की नहीं है कि उसके आधार पर यह निश्चित रूप से सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे माना जा सके कि मृतका की मृत्यु गर्दन पर बाहरी दबाव डालकर किसी कठोर और कुंद वस्तु से गला घोंटने के कारण हुई श्वासावरोध का परिणाम थी और मृतका के शरीर पर पाई गई जलन की चोटें मृत्युपश्चात थीं। अतः, हम इस मत के हैं कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, और अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने की हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. यह सुस्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर पहुँचने वाली परिस्थितियों का न केवल पूर्ण रूप से स्थापित होना आवश्यक है बल्कि यह भी कि इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए। वे परिस्थितियाँ आरोपी के दोष के अलावा किसी अन्य परिकल्पना द्वारा व्याख्या योग्य नहीं होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप विश्वास के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार शेष न रहे। यह स्मरण

दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, न कि न्यायालय की नाराजगी मात्र, और जितना गंभीर अपराध हो, साक्ष्य की जाँच करने में उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले ले।

30. उपरोक्त विचार-विमर्श के आधार पर, हमारा मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी संख्या १ एवं २ को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 302 एवं 201 के तहत तथा अपीलार्थी संख्या 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं 201 के तहत सिध्ददोष ठहराना उचित नहीं था और विचारण न्यायालय को उन्हें संदेह का लाभ अवश्य प्रदान करना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों की उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दंड को अपास्त किया जाता है। उन्हें उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि वे किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में लिए जाने के लिए आवश्यक नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-
श्री धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
श्री आर. एन. चन्द्राकर
न्यायाधीश
दिनांक 19/10/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh